GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE NO.156/88

No.: E(NG)I-80/TR/28 New Delhi, dated:21/7/1988

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Transfers of staff- Measures to check possible malpractices.

-.-.-.-

With a view to guard against possible malpractices in transfers of staff, Ministry of Railways on the advice of the Central Vigilance Commission have decided that whenever a transfer order is issued on the basis of complaints, CBI/ Vigilance enquiries etc. by th e competent authority and thereafter it is proposed to cancel the transfer order without the employee having actua lly carried out the transfer order or to bring back the employee concerned to the original place of posting within one year, the competent authority should obtain the approval of the next higher authority after giving full details regarding the reasons requiring change in the transfer ordere. It should also be the endeavour of Railway Administration that an employee undergoing penalty as a result of a vigilance case is not posted against any post involving public dealing especially in areas prone to corruption.

Please acknowledge receipt.

(K.B.LALL)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board.

No.: E(NG)I-80/TR/28 New Delhi, dated: 21/7/1988

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3,Chelmsford Road, New Delhi-110055 (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF, 4,State Entry Road, New Delhi-110055 (with 35 spares).
3. All Members, NC, DC, And Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz eshah Road, New Delhi.

For Secretary, Railway Board.

Copy to:-

PSs to CRB, FC, MT, ME, MM, MS, ML, ADV.Staff and Secretary, EDE, EDV, ED(T)TR, DE(N), ED(RES), DE(C), EDPC-II. EDE(IR), DE(P&A), DE(T&MPP), JS(G), JS(E), JDEN(N), JDE(L), JDE(R)I, & II, DS(C), DDE(R)I, II, DDE(G), DD(Code Revision), E(O)III, E(NG)II, E(Rep)I, II & III,E(SCT), PC-III & PC-IV Branches of Estt. and Pay Commission.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) आर॰बी॰ई॰सं॰ 156/88

सं0 ई(एन॰जी)I-80/टी॰आर॰/28 नयी दिल्ली, दिनांक: 21/7/1988

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें

विषय:- कर्मचारियों का स्थानान्तरण - सम्भावित कदाचार की रोकथाम के उपाय ।

-x-x-x-

कर्मचारियों के स्थानान्तरण में होने वाले सम्भावित कदाचार को देखते हुए, रेल मंत्रालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से यह विनिश्चय किया है कि जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायतों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सतर्कता जांच आदि के आधार पर स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाते हैं और इसके बाद कर्मचारी को वस्तुत: स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किये बिना स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने का प्रस्ताव होता है या सम्बन्धित कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के भीतर तैनाती के मूल स्थान पर वापस बुला लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी को स्थानान्तरण आदेशों को बदलने के कारणों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा देने के बाद अपने से उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । रेल प्रशासन को यह प्रयास भी करना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध सतर्कता मामले के परिणामस्वरूप दण्ड लगाया गया हो, किसी भी जन - व्यवहार वाले स्थान पर तैनात न किया जाये, विशेषतौर से भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों में ।

कृपया पावती दें ।

(के॰ बी॰ लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराण॰)
रेलवे बोर्ड ।

सं0 ई(एन॰जी॰)I-80/टी॰आर॰/28 नयी दिल्ली, दिनांक:21/7/1988

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एन0एफ॰आई॰आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली-110055 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. जनरल सेक्रेटरी, ए॰आई॰आर॰एफ, 4 स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली-110055 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।